

प्रारंभिक परीक्षा

तरलता प्रबंधन ढांचा (Liquidity Management Framework-LMF)

संदर्भ

भारतीय रिजर्व बैंक ने तरलता प्रबंधन ढांचे की समीक्षा के लिए आंतरिक कार्य समूह की रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें भारत के केंद्रीय बैंक द्वारा तरलता परिचालनों के संचालन और उसे दुरुस्त करने के तरीके का विश्लेषण किया गया है।

RBI का तरलता प्रबंधन ढांचा (LMF) -

- इसके बारे में:
 - LMF बैंकिंग प्रणाली में नकदी/तरलता को विनियमित करने के लिए RBI का टूलकिट है।
 - इससे अल्पावधि ब्याज दरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है तथा मौद्रिक नीति का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित होता है।
- मुख्य तंत्र:
 - तरलता समायोजन सुविधा (LAF) पर निर्भर करता है - रेपो (तरलता का इंजेक्शन) और रिवर्स रेपो (तरलता का अवशोषण) का उपयोग करते हुए।
 - एक कॉरिडोर प्रणाली के अंतर्गत संचालित होता है जहाँ नीतिगत रेपो दर मध्य बिंदु होती है।
 - भारत औसत कॉल दर (WACR) प्रमुख परिचालन लक्ष्य है।
- LMF में अन्य उपकरण:
 - खुले बाजार परिचालन (OMO)
 - नकद आरक्षित अनुपात (CRR)
 - वैधानिक तरलता अनुपात (SLR)
 - दीर्घकालिक और संरचनात्मक तरलता समायोजन के लिए उपयोग किया जाता है।

LMF पर RBI की हालिया सिफारिशें (IWG रिपोर्ट, 2025) -

- परिचालन लक्ष्य के रूप में WACR
 - परिचालन लक्ष्य के रूप में ओवरनाइट WACR का उपयोग जारी रखें।
 - कारण: अन्य ओवरनाइट बाजार दरों के साथ मज़बूत सहसंबंध → नीति संकेतों का प्रभावी संचरण सुनिश्चित करता है।
- 14-दिवसीय VRR/VRRR को प्राथमिक उपकरण के रूप में बंद करें
 - 7-दिवसीय रेपो/रिवर्स रेपो परिचालन और अन्य उपकरणों (ओवरनाइट से 14 दिन तक) से प्रतिस्थापित करें।
 - कारण: बैंक 14-दिवसीय नीलामी में कम भागीदारी दिखाते हैं; छोटी अवधि के परिचालन अधिक प्रभावी और कम विघटनकारी होते हैं।
- तरलता संचालन के लिए अग्रिम सूचना
 - रेपो/रिवर्स रेपो नीलामी से कम से कम एक दिन पहले सूचना देनी चाहिए।
 - अपवाद: यदि तरलता की स्थिति अचानक बदल जाए तो उसी दिन परिचालन किया जा सकता है।
 - कारण: अनिश्चितता को कम करने और मुद्रा बाजार दरों को स्थिर करने में मदद करता है।
- न्यूनतम CRR आवश्यकता बनाए रखें
 - 90% दैनिक न्यूनतम CRR रखरखाव के साथ जारी रखें।
 - कारण: यह सुनिश्चित करता है कि बैंकों के पास पर्याप्त भंडार बना रहे और तरलता की कमी को रोका जा सके।

स्रोत: RBI

नए वस्तु एवं सेवा कर(GST) सुधार

संदर्भ

केंद्र ने प्रणाली को सरल बनाने और उपभोग को बढ़ावा देने के लिए **12% और 28% कर स्लैब को समाप्त करके, केवल 5% और 18% (1% से कम कुछ विशेष दरों और 40% "पाप कर(sin tax)" के साथ) को बनाए रखते हुए एक प्रमुख GST सुधार का प्रस्ताव दिया है।**

वस्तु एवं सेवा कर(GST) के बारे में -

- लागू: 1 जुलाई 2017, कई अप्रत्यक्ष करों (वैट, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, आदि) के स्थान पर।
 - प्रकृति: भारत भर में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला एक गंतव्य-आधारित, व्यापक अप्रत्यक्ष कर।
 - संरचना:
 - CGST (केन्द्रीय GST) - केन्द्र द्वारा एकत्रित।
 - SGST (राज्य GST) - राज्यों द्वारा एकत्रित।
 - IGST (एकीकृत GST) - अंतर-राज्यीय आपूर्ति और आयात पर एकत्र किया जाता है।
 - प्रमुख विशेषताएँ:
 - "एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार।"
 - दोहरा मॉडल - केंद्र और राज्य शक्तियों को साझा करते हैं।
 - इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) तंत्र करों के कैस्केडिंग से बचाता है।

हालिया GST सुधार (2025 का प्रस्ताव) -

- स्लैब में कमी
 - वर्तमान स्लैब: 0.25%, 3%, 5%, 12%, 18%, 28% + उपकर।
 - प्रस्तावित स्लैब: <1% (कीमती पत्थरों आदि के लिए), 5%, 18%, और 40% 'पाप कर'।
 - **12% और 28% स्लैब को समाप्त किया जाएगा।**
- वस्तुओं का पुनर्वर्गीकरण
 - 12% स्लैब की 99% वस्तुएँ → 5% स्लैब में स्थानांतरित।
 - 28% स्लैब की 90% वस्तुएँ → 18% स्लैब में स्थानांतरित।
 - केवल 5-7 वस्तुएँ (तंबाकू, गुटखा, लज्जरी सामान) 40% पाप कर की श्रेणी में बनी रहेंगी।
- उपभोग और राजस्व पर प्रभाव
 - कम दरों से उपभोग में वृद्धि, कर चोरी में कमी तथा कर दायरा बढ़ने की उम्मीद है।
 - यद्यपि शुरुआत में राजस्व में गिरावट आ सकती है, लेकिन बाद में उच्च अनुपालन और उपभोग से राजस्व में वृद्धि होने की संभावना है।
- आकांक्षी वस्तुओं पर राहत
 - एयर कंडीशनर, श्वेत वस्तुओं (वर्तमान में 28%) जैसी वस्तुओं पर GST को घटाकर 18% करने का प्रस्ताव → जिससे वे अधिक किफायती बन सकें।
- अनुपालन में आसानी
 - GST पंजीकरण को सरल बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग।
 - त्रुटियों और असंगतियों को कम करने के लिए प्री-फिल्ड रिटर्न।
 - व्यवसायों के लिए नकदी प्रवाह में सुधार हेतु तीव्र रिफंड।
- समग्र लक्ष्य
 - सरल, अगली पीढ़ी की GST प्रणाली को लागू करना।
 - जीवन को आसान बनाने और व्यापार को आसान बनाने को बढ़ावा देना।
 - GST परिषद की बैठक (सितंबर-अक्टूबर 2025) में इस पर विचार-विमर्श किए जाने तथा इसी वित्तीय वर्ष में इसे लागू किए जाने की उम्मीद है।

स्रोत: [द हिंदू](#)

मिशन सुदर्शन चक्र

संदर्भ

भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ने मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा की।

मिशन सुदर्शन चक्र -

- भारत भर में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के चारों ओर एक उन्नत, बहुस्तरीय रक्षा कवच बनाने के लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन।
- भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र से प्रेरित होकर, आधुनिक रक्षा रणनीति के साथ सांस्कृतिक विरासत का सम्मिश्रण।
- **नोडल मंत्रालय:** रक्षा मंत्रालय।
- **उद्देश्य:**
 - वायु, भूमि, समुद्र और साइबर क्षेत्रों से खतरों को बेअसर करने के लिए एक स्वदेशी, अनुसंधान-संचालित सुरक्षा प्रणाली विकसित करना।
 - रक्षा प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता को मजबूत करना।
 - महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, प्रमुख शहरों और पवित्र स्थलों के लिए एकीकृत, सक्रिय सुरक्षा प्रदान करना।
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
 - **बहुस्तरीय रक्षा:** निगरानी, अवरोधन और जवाबी हमले की क्षमताओं को जोड़ती है।
 - **व्यापक कवरेज:** सामरिक, नागरिक और धार्मिक स्थानों की सुरक्षा।
 - **उन्नत प्रौद्योगिकी:** रडार नेटवर्क, एआई-संचालित ट्रैकिंग, साइबर-रक्षा उपकरण और भौतिक सुरक्षा प्रणालियों का उपयोग करती है।
 - **स्वदेशी विकास:** पूर्णतः भारत में संकल्पित, डिजाइन और निर्मित।
 - **भविष्योन्मुखी योजना:** 2035 तक विस्तार और आधुनिकीकरण का लक्ष्य।

स्रोत: [डीडीन्यूज़](#)

संक्षेप में समाचार

ईस्टर द्वीप



समाचार? एक अध्ययन के अनुसार, समुद्र का जलस्तर बढ़ने से 2080 तक ईस्टर द्वीप की प्रतिष्ठित प्रतिमाएं खतरे में पड़ सकती हैं।

इसके बारे में -

- **अवस्थिति:** यह द्वीप दक्षिण-पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित पोलिनेशिया का सबसे पूर्वी भाग है।
- **राजनीतिक स्थिति:** चिली के एक विशेष क्षेत्र के रूप में कार्य करता है।
- **राजधानी:** हांगा रोआ
- **भौगोलिक विशेषताएँ:** तीन विलुप्त ज्वालामुखियों द्वारा निर्मित।
- **जलवायु:** गर्म ग्रीष्मकाल और हल्की सर्दियाँ के साथ उपोष्णकटिबंधीय समुद्री जलवायु का अनुभव होता है।
- **वैश्विक मान्यता:** रापा नुई राष्ट्रीय उद्यान (15 प्रतिष्ठित मोई प्रतिमाएं) - यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित।

स्रोत: [अल जज़ीरा](#)

संपादकीय सारांश

जम्मू-कश्मीर में अचानक बाढ़ और बारिश के कारण

संदर्भ

जम्मू एवं कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चसोती गांव में मूसलाधार बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ में कम से कम 65 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग लापता बताए गए हैं।

प्रभाव -

- **जान-माल की हानि:** दर्जनों लोग मारे गए और अनेक लापता।
- **सामुदायिक विनाश:** चसोती जैसे दूरदराज के गांवों में खराब पहुंच और बुनियादी ढांचे के कारण गंभीर व्यवधान का सामना करना पड़ रहा है।
- **सांस्कृतिक प्रभाव:** मचैल माता की तीर्थयात्रा के दौरान आपदा आई, जिससे धार्मिक यात्रा प्रभावित हुई।
- **व्यापक पैटर्न:** यह घटना जम्मू-कश्मीर में चरम मौसम की घटनाओं की बढ़ती प्रवृत्ति का हिस्सा है।
 - 2010 और 2022 के बीच, जम्मू और कश्मीर में 2,863 चरम मौसम की घटनाएं और 552 मौतें दर्ज की गईं।
 - भारी बर्फबारी के कारण सबसे अधिक मौतें (182 मौतें) हुईं, इसके बाद बाढ़ (119), भारी बारिश (111) और भूस्खलन (71) हुईं।
- **जिला स्तर पर खतरा:** अनंतनाग, गंदेरबल और डोडा के साथ किश्तवाड़ में अचानक आई बाढ़ से सबसे अधिक मौतें हुई हैं।

इसके घटित होने के कारण -


- **बढ़ता तापमान**
 - पश्चिमी हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप की तुलना में दोगुनी दर से गर्म हो रहा है।
 - गर्म हवा में अधिक नमी होती है (प्रति 1°C वृद्धि पर 7% अधिक), जिसके कारण तीव्र वर्षा होती है।
 - ग्लेशियर के पीछे हटने से अस्थिर हिमनद झीलें बनती हैं; भारी वर्षा के कारण उनमें अतिप्रवाह हो सकता है, जिससे हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (GLOFs) उत्पन्न हो सकती है।
- **पश्चिमी विक्षोभ का बदलता स्वरूप**
 - पश्चिमी विक्षोभ, जो परंपरागत रूप से सर्दियों के महीनों (दिसंबर-मार्च) में सक्रिय रहते हैं, अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण वर्ष भर मौसम को प्रभावित करते हैं।
 - अरब सागर से अतिरिक्त नमी इन प्रणालियों को मजबूत बनाती है, जिससे हिमालय में भारी वर्षा और अचानक बाढ़ आती है।
- **जम्मू और कश्मीर की स्थलाकृति**
 - पर्वतीय भूभाग के कारण यह क्षेत्र पर्वतीय वर्षा (जब नम हवा पहाड़ियों से ऊपर उठने के लिए मजबूर होती है, ठंडी होकर भारी वर्षा में संघनित हो जाती है) के लिए प्रवण है।
 - खड़ी ढलानें और नाजुक मिट्टी भूस्खलन और अचानक बाढ़ के खतरे को बढ़ाती हैं।

आगे की राह -

- **प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करना:** जम्मू-कश्मीर में डॉप्लर रडार और वास्तविक समय वर्षा निगरानी का विस्तार करना।
- **आपदा-रोधी अवसंरचना:** उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में सड़कों, पुलों और आवासों को सुदृढ़ बनाना।
- **हिमनद झील निगरानी:** उपग्रहों का उपयोग करके संवेदनशील हिमनद झीलों का मानचित्रण करना तथा जहां आवश्यक हो, नियंत्रित जल निकासी लागू करना।
- **सामुदायिक तैयारी:** स्थानीय समुदायों को आपदा प्रतिक्रिया और निकासी अभ्यास में प्रशिक्षित करना।

- **जलवायु अनुकूलन नीतियाँ:** क्षेत्रीय नियोजन, पर्यटन और तीर्थयात्रा प्रबंधन में जलवायु जोखिम मूल्यांकन को एकीकृत करना।

स्रोत: [इंडियन एक्सप्रेस](#)



सभी को शामिल करना

संदर्भ

- **एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम ECI (2025) मामले** में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के चुनाव आयोग (ECI) को निर्देश दिया है कि:
 - मसौदा मतदाता सूची को अधिक सुलभ और खोज योग्य बनाएं।
 - मतदाताओं सूची से बाहर रखने के कारण बताएं ताकि वे निर्णय को चुनौती दे सकें।

समाचार के बारे में और अधिक जानकारी -

- यह बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियाओं की पृष्ठभूमि में आया है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूचियों से "गैर-नागरिकों को हटाना" था।
- सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तुलना 1995 में लाल बाबू हुसैन बनाम ईआरओ मामले में दिए गए फैसले से की जा रही है, जिसमें न्यायालय ने विश्वसनीय सबूतों के बिना मतदाताओं को "गैर-नागरिक" घोषित करने के चुनाव आयोग के मनमाने प्रयासों को खारिज कर दिया था।

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का प्रभाव -

- **मतदाता अधिकारों का संरक्षण:** नागरिकों को बिना स्पष्टीकरण के मनमाने ढंग से बाहर नहीं किया जा सकता।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही:** ECI को दुरुपयोग को रोकने के लिए बहिष्करण के कारणों का खुलासा करने के लिए बाध्य किया गया है।
- **फोकस में बदलाव:** नागरिकता पर सवाल उठाने से लेकर मतदाता सूची की सटीकता सुनिश्चित करने तक।
- **संस्थागत संतुलन:** सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारतीय निर्वाचन आयोग को फटकार लगाने के बजाय उसे निष्पक्षता की ओर धकेलने का इतिहास जारी है।

समस्या के कारण -

- **SIR के लिए कानूनी आधार का अभाव:** न तो **जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950** और न ही **निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960** में "विशेष गहन पुनरीक्षण" का उल्लेख है।
 - ऐसा प्रतीत होता है कि यह कार्य वैधानिक आदेश के बजाय प्रशासनिक विवेक पर आधारित है।
- **प्रमाण का भार नागरिकों पर डाला गया:** नागरिकों से नए सिरे से नागरिकता साबित करने के लिए कहा जा रहा है, जबकि वे पहले से ही मतदाता सूची में शामिल हैं।
 - आधार कार्ड और ईपीआईसी कार्ड (स्वयं ECI द्वारा जारी) को शुरू में वैध प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था।
- **ऐतिहासिक समानताएं:** दिल्ली और मुंबई में इसी तरह के प्रयास (1994) - लगभग 3 लाख लोगों से नागरिकता साबित करने के लिए कहा गया, सीमित दस्तावेज स्वीकार किए गए।
 - 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि सबूत की मांग तभी की जा सकती है जब विश्वसनीय साक्ष्य यह बताएं कि कोई व्यक्ति नागरिक नहीं है।

फैसले का महत्व -

- **सार्वभौमिक मताधिकार को सुदृढ़ करना:** भारत का चुनावी इतिहास तत्काल सार्वभौमिक मताधिकार (1950) से चिह्नित है, जबकि कई देशों में मताधिकार को धीरे-धीरे बढ़ाया गया।
 - यह निर्णय मतदान के अधिकार में समावेशिता और समानता के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
- **संवैधानिक संतुलन:** SIR को पूरी तरह से अमान्य करने के बजाय सुधारों का निर्देश देकर, सर्वोच्च न्यायालय ने संस्थागत संतुलन बनाए रखा।

- इसने ECI के साथ सीधे टकराव से परहेज किया, लेकिन यह सुनिश्चित किया कि नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहें।
- **लोकतांत्रिक वैधता को मजबूत करना:** चुनाव तभी सार्थक होते हैं जब मतदाता सूची सटीक और निष्पक्ष हो।
 - गलत तरीके से नामों को हटाने से समाज के बड़े वर्ग के मताधिकार से वंचित होने का खतरा है, तथा लोकतांत्रिक वैधता कमजोर हो सकती है।
- **न्यायिक निरंतरता:** 2025 का फैसला पहले के मामलों (1995 लाल बाबू हुसैन, 2017 पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज) के अनुरूप है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने प्राकृतिक न्याय, पारदर्शिता और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों पर जोर दिया था।
- **व्यापक संदेश:** फैसले से यह स्पष्ट होता है कि नागरिकता सत्यापन लोकतांत्रिक भागीदारी को दरकिनार नहीं कर सकता।
 - यह भारत की उस भावना को प्रतिबिंबित करता है कि गरीबों, बेघरों या जिनके पास निश्चित पहचान दस्तावेज नहीं हैं, उन्हें भी अपनी बात कहने और प्रतिनिधित्व पाने का अधिकार है।

स्रोत: [इंडियन एक्सप्रेस](#)



फ्री एआई समिति की रिपोर्ट

संदर्भ

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल एनेबलमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिति (FREEAI Committee) ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट जारी की है।

फ्री एआई समिति के बारे में -

- 2024 में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने एक आंतरिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) समिति का गठन किया था ताकि विनियमित संस्थाओं (REs) — जैसे बैंक, एनबीएफसी और बीमाकर्ताओं — द्वारा AI के सुरक्षित और नैतिक उपयोग के लिए एक प्रशासनिक ढाँचा तैयार किया जा सके।
- समिति की अगस्त 2025 में जारी रिपोर्ट का शीर्षक था: "फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेटेड एंटीटीज़ फॉर इफेक्टिव एआई (FREE AI)"।
- उद्देश्य था नवाचार और जोखिम-नियंत्रण के बीच संतुलन बनाना, ताकि AI का उपयोग दक्षता बढ़ाए लेकिन निष्पक्षता, जवाबदेही या वित्तीय स्थिरता से समझौता न करे।

वित्त में एआई का महत्व -

- **राजस्व वृद्धि:** एआई एक प्रमुख विकास चालक होने की उम्मीद है, वित्तीय क्षेत्र में निवेश 2027 तक 8 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है।
- **दक्षता और निजीकरण:** नियमित और डेटा-भारी प्रक्रियाओं को स्वचालित करके, एआई ऋण प्रसंस्करण और ग्राहक सहायता जैसे तेज और अधिक सटीक संचालन को सक्षम बनाता है।
- **वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना:** उपयोगिता भुगतान और GST रिकॉर्ड जैसे वैकल्पिक डेटा स्रोतों के उपयोग के माध्यम से, एआई "पतली-फ़ाइल" या पहली बार उधारकर्ताओं की ऋण पात्रता का आकलन करने में मदद करता है, जिन्हें अक्सर पारंपरिक प्रणालियों द्वारा बाहर रखा जाता है।
- **डिजिटल अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना:** एआई भारत के डिजिटल सार्वजनिक प्लेटफार्मों जैसे आधार और यूपीआई को बढ़ाता है, जिससे अधिक व्यक्तिगत और अनुकूल वित्तीय सेवाएं संभव होती हैं।
- **बेहतर जोखिम प्रबंधन:** एआई धोखाधड़ी का पता लगाने, पूर्व चेतावनी प्रणाली और बेहतर निर्णय लेने में सहायता करता है, जिससे समग्र जोखिम प्रबंधन मजबूत होता है।
 - **उदाहरण:** जेपी मॉर्गन के एआई-आधारित भुगतान सत्यापन ने धोखाधड़ी को कम किया और खाता अस्वीकृति दर में 15-20% की कटौती की।
- **उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ तालमेल:** क्रांति कंप्यूटिंग और उन्नत निजता उपकरणों के साथ संयुक्त होने पर, एआई वित्तीय सेवाओं में बेहतर प्रदर्शन, सुरक्षा और लचीलापन प्रदान कर सकता है।

वित्त में एआई के उभरते जोखिम और क्षेत्रीय चुनौतियाँ -

- **मॉडल जोखिम:** एआई आउटपुट अपेक्षाओं से विचलित हो सकता है, जिससे नुकसान या प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है।
 - जोखिम स्रोतों में शामिल हैं:
 - **डेटा जोखिम** - अपूर्ण, पक्षपातपूर्ण या दोषपूर्ण डेटासेट।
 - **डिज़ाइन जोखिम** - त्रुटिपूर्ण एल्गोरिदम या गलत संरचित उद्देश्य।
 - **अंशांकन जोखिम** - गलत पैरामीटर भार।
 - **कार्यान्वयन जोखिम** - वित्तीय प्रक्रियाओं में खराब एकीकरण।
 - **मॉडल-पर-मॉडल जोखिम:** अन्य AI मॉडलों की निगरानी के लिए उपयोग की जाने वाली AI प्रणालियां स्वयं विफल हो सकती हैं, जिससे व्यापक प्रभाव उत्पन्न हो सकता है।
 - **जेनएआई जोखिम:** "मतिभ्रम" (झूठे आउटपुट), कम व्याख्या, और ग्राहकों को भ्रामक संचार।
- **परिचालन जोखिम - दबाव में प्रणालियाँ:** स्वचालन मानवीय त्रुटि को कम करता है लेकिन बड़े पैमाने पर दोषों को बढ़ाता है।

- **उदाहरण:** एआई धोखाधड़ी का पता लगाना, वास्तविक लेनदेन को गलत तरीके से वर्गीकृत करना → ग्राहक विश्वास की हानि।
 - डेटा पाइपलाइन भ्रष्टाचार के कारण क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल विफल हो रहे हैं।
 - "मॉडल विचलन" जब निगरानी के बिना समय के साथ प्रदर्शन में गिरावट आती है।
- **तृतीय-पक्ष जोखिम - विक्रेता निर्भरता:** वित्तीय संस्थान बाहरी एआई विक्रेताओं और क्लाउड प्रदाताओं पर निर्भर करते हैं।
 - **जोखिम:** सेवा में रुकावट, सॉफ्टवेयर बग या सुरक्षा उल्लंघन।
 - यदि कुछ प्रमुख विक्रेता महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर नियंत्रण रखते हैं तो संकेन्द्रण का जोखिम बढ़ जाता है।
 - उपठेकेदारों की कार्यप्रणाली की सीमित दृश्यता → अनुपालन अंतराल।

उत्तरदायित्व और जवाबदेही जोखिम: एआई प्रणालियाँ संभाव्य होती हैं, नियतात्मक नहीं। इससे ज़िम्मेदारी की रेखाएँ धुंधली हो जाती हैं।

- **एआई-संचालित मिलीभगत का जोखिम:** सैद्धांतिक लेकिन महत्वपूर्ण: स्वायत्त एआई प्रणालियाँ उच्च कीमतें बनाए रखने या बाजारों में हेरफेर करने के लिए मिलीभगत करती हैं।
 - उच्च आवृत्ति व्यापार या गतिशील मूल्य निर्धारण में विशेष रूप से प्रासंगिक।
 - प्रतिस्पर्धा कानूनों का उल्लंघन हो सकता है और बाजारों में विकृति आ सकती है।
- **वित्तीय स्थिरता संबंधी चिंताएँ:**
 - **प्रोसाइक्लिकैलिटी:** ऐतिहासिक डेटा पर प्रशिक्षित एआई मॉडल तेजी-मंदी चक्रों को बढ़ा सकते हैं।
 - **झुंड प्रभाव (Herding Effect):** यदि कई संस्थान समान एआई रणनीतियों का उपयोग करते हैं, तो उनका एक साथ व्यवहार बाजार में अस्थिरता बढ़ा सकता है।
 - **उदाहरण:** 2010 प्लैश क्रैश, जहां स्वचालित ट्रेडिंग एल्गोरिदम ने मिनटों में लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर का सफाया कर दिया।
- **साइबर सुरक्षा जोखिम - एक दोधारी तलवार:**
 - **आक्रामक उपयोग:** एआई डेटा विषाक्तता, प्रतिकूल इनपुट, डीपफेक धोखाधड़ी या फ़िशिंग जैसे उन्नत साइबर हमलों को शक्ति प्रदान कर सकता है।
 - **रक्षात्मक उपयोग:** एआई विसंगति निगरानी, पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण और वास्तविक समय प्रतिक्रिया के माध्यम से पहचान में सुधार करता है।
- **डेटा सुरक्षा और निजता जोखिम:**
 - **डेटा का अति-संग्रह:** एआई प्रणालियाँ अक्सर आवश्यकता से अधिक डेटा एकत्र करती हैं, जो डेटा न्यूनीकरण सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।
 - **डेटा एकत्रीकरण जोखिम:** निर्दोष डेटा बिंदुओं को संयुक्त करने पर संवेदनशील जानकारी (मोज़ेक प्रभाव) प्रकट हो सकती है।
 - **क्लाउड निर्भरता संघर्ष:** वैश्विक एआई अवसंरचना भारत के डेटा स्थानीयकरण मानदंडों से टकरा सकती है।
- **उपभोक्ता एवं नैतिक चिंताएं:** पूर्वाग्रह के कारण कमजोर समूह (ग्रामीण गरीब, महिलाएं, अल्पसंख्यक) को बाहर रखा जा सकता है।
 - अस्पष्टता के कारण ग्राहक निर्णय को समझने में असमर्थ हो जाते हैं।
 - **हेरफेर का जोखिम:** एआई-संचालित संकेत उपभोक्ताओं को ऐसे विकल्पों की ओर धकेल सकते हैं जो उनके सर्वोत्तम हितों के अनुरूप नहीं हैं।
 - सूचित सहमति, शोषण और निष्पक्षता के आसपास नैतिक मुद्दों को उठाता है।
- **एआई जड़ता - न अपनाने के जोखिम:** एआई को न अपनाना अपने आप में एक जोखिम है:
 - संस्थाएं प्रतिस्पर्धात्मकता और दक्षता में पीछे रह सकती हैं।
 - यदि ग्रामीण/अल्पसेवित क्षेत्रों में एआई-संचालित समावेशन उपकरणों की कमी होगी तो वित्तीय पहुंच का अंतर बढ़ जाएगा।
 - एआई-संचालित साइबर हमलों का मुकाबला करने की क्षमता का अभाव है।

RBI की सिफारिशें -

- **एआई अपनाने के लिए 7 सूत्र:**
 - **विश्वास ही आधार है:** विश्वास पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता और इसमें कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए।
 - **जनता सर्वप्रथम:** एआई को मानवीय निर्णय लेने की प्रक्रिया को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन मानवीय निर्णय और नागरिक हित को भी ध्यान में रखना चाहिए।
 - **संयम के बजाय नवाचार:** उद्देश्यपूर्ण जिम्मेदार नवाचार को बढ़ावा देना।
 - **निष्पक्षता और समानता:** एआई परिणाम निष्पक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण होने चाहिए।
 - **जवाबदेही:** जवाबदेही एआई को लागू करने वाली संस्थाओं पर निर्भर करती है।
 - **डिजाइन द्वारा समझने योग्य:** विश्वास के लिए व्याख्या सुनिश्चित करना।
 - **सुरक्षा, लचीलापन और स्थिरता:** एआई प्रणालियां सुरक्षित, लचीली और ऊर्जा कुशल होनी चाहिए।
- **नवाचार सक्षमता:** एआई कोष से जुड़े डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के हिस्से के रूप में एक मजबूत वित्तीय क्षेत्र डेटा बुनियादी ढांचे का निर्माण करना।
- **एआई इनोवेशन सैंडबॉक्स:** एक सुरक्षित सैंडबॉक्स (जेनएआई डिजिटल सैंडबॉक्स के समान) स्थापित करें, जहां वित्तीय संस्थान पूर्वाग्रह, त्रुटियों का पता लगाने और एएमएल, केवाईसी और उपभोक्ता संरक्षण मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अंतर्निहित उपकरणों के साथ अनाम डेटा पर एआई मॉडल का परीक्षण कर सकते हैं।
- **उपभोक्ता संरक्षण और सुरक्षा:** नियमित और घटना-आधारित परीक्षण, दोनों के माध्यम से आनुपातिक एआई रेड-टीमिंग की आवश्यकता। जोखिमों का प्रभावी प्रबंधन करने के लिए सद्भावपूर्ण प्रकटीकरण के साथ घटना रिपोर्टिंग ढाँचे लागू करना।
- **विनियमित संस्थाओं(RE) में क्षमता निर्माण:** सभी संस्थागत स्तरों पर एआई शासन और जोखिम प्रबंधन के लिए संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम डिजाइन करना।
- **ज्ञान साझा करना:** वित्तीय क्षेत्र में एआई उपयोग के मामलों और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान के लिए तंत्र बनाना ताकि जिम्मेदारीपूर्वक अपनाने को प्रोत्साहित किया जा सके।
- **एआई घटना रिपोर्टिंग:** एआई से संबंधित घटनाओं का समय पर पता लगाने, रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण के लिए एक समर्पित ढांचा विकसित करना।